



अयोध्या राम मंदिर।



अतिथियों का अभिवादन रथीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमृत विचार

ध्वजारोहण होते ही जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठी रामनगरी

मठ-मंदिरों में बजे घंटे-घड़ियाल, भगवान की उतारी गयी आटी, बांटा गया प्रसाद।



हाथ में त्रिशूल लेकर जय श्रीराम का उद्घोष करता साधु।

अमृत विचार



रामधुन पर नाचते-गाते श्रद्धातु।

अमृत विचार

सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्रीराम आए हैं...



फूलों से सजे राम मंदिर द्वारा के समने जय श्रीराम का उद्घोष करते भवत। अमृत विचार विशाल तिवारी, अयोध्या

अमृत विचार : रामनगरी मंगलवार

को फिर त्रेतायुग में लौट आई।

अलौकिक, अद्भुत और अप्रतिम सौंदर्य से पूरा शहर राममय हो उठा।

सारा वातावरण सुग्राहित पुरों की महक से सराबोर था। पर्लिक एड्रेस

सिस्टम पर बज रहे भजन सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु श्रीराम आई श्रद्धालू महिलाएं मध्य धारा,

सांगों और पूजा ने कहा कि राम मंदिर परिसर पहुंचते ही उन्हें देवलोंके जैसी अनुभूति हुई।

संत रामाकांत शर्मा, जो 25 वर्षों से अयोध्या आते हैं, ने

कहा कि अयोध्या आधिनक भी हुई है और अपनी त्रेतायुगीन झलक भी पा द्युकी है। छोल और मंजीरों के मध्य खरों के बीच संतों की टोली ने इस अयोजन को एक दिया सांस्कृतिक पर्व में परिवर्तित कर दिया।

रामपथ समने नगर के प्रमुख मार्गों पर लागू गंडा और आम के पत्तों की मालाएं पूरे वातावरण को धार्मिक रंग में रंग रही थीं।

राम मंदिर के बीआईपी प्रवेश द्वारा जगदगुरु आद्य शंकराचार्य, जगीरुह रामानन्दाचार्य मार्ग समेत प्रवेश का प्रमुख भाग श्रीराम जन्मभूमि पथ पर बना भव्य द्वार किसी खास आयोजन की गवाह बन रहा था। मुख्य चौक-चौराहों पर केशरिया, पीरे, लाल और सफेद फूलों की लड़ी इतनी सुन्दर लग रही थी कि दूर से देखने पर लगता था मानो पूरा शहर सोने-चांदी के आभूषणों से सजा हो।

उनका कैसे स्वागत किया।

गाजे-बाजे व हाथी-घोड़ा के साथ धूमधाम से निकली श्रीराम बारात

अयोध्या कार्यालय



लता चौक पर रामधुन पर नाचते साधु।

अमृत विचार

सांस्कृतिक उत्सव में बदला समारोह

विहार के गोपालगंज से हुमान जी की वेशभूमा में पहुंचे एक रामधारत ने अपने नृत्य और गायन से माहिल को भवित रस से रंग दिया। फिल्मों से आई श्रद्धालू महिलाएं मध्य धारा, सांगों और पूजा ने कहा कि राम मंदिर परिसर पहुंचते ही उन्हें देवलोंके जैसी अनुभूति हुई। संत रामाकांत शर्मा, जो 25 वर्षों से अयोध्या आते हैं, ने कहा कि अयोध्या आधिनक भी हुई है और अपनी त्रेतायुगीन झलक भी पा द्युकी है। छोल और मंजीरों के मध्य खरों के बीच संतों की टोली ने इस अयोजन को एक दिया सांस्कृतिक पर्व में परिवर्तित कर दिया।

रामेश गुप्त, ओंकार गुप्त, राम नाम संकीर्तन करने वाले वैष्व तिवारी, अयोध्या के बुजुर्ग संत राम स्वरूप मंदिरों व घरों के छतों समेत पूरे विवर में टीवी के माध्यम यह दृश्य देखकर राम मंदिर प्रांगण में विहार के बाहर रामधुन पर नाचते साधु। अयोध्या के उद्घोष से गूंज उठी।

मंदिर प्रांगण ही नहीं पूरी अयोध्या

जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठी।

प्रसाद विक्रेता

रामेश गुप्त, केशरीनंदन गुप्ता,

रामपथ, धर्मपथ समेत पूरे शहर के

रामधुन पर नाचते साधु।

अमृत विचार

लोग सड़कों पर आ गए व मिटाइयां

वैठे करीब सात हजार लोग, शहर में

बांटकर एक-दूसरे को बधाई दी।

अयोध्या के बुजुर्ग संत राम स्वरूप

मंदिरों व घरों के छतों समेत पूरे

विवर में टीवी के माध्यम यह

ऐतिहासिक दृश्य देख रहे लोगों को

भवित भाव से उत्तप्रोत कर दिया।

मंदिर प्रांगण ही नहीं पूरी अयोध्या

जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठी।

प्रसाद विक्रेता

रामेश गुप्त, केशरीनंदन गुप्ता,

रामपथ, धर्मपथ समेत पूरे शहर के

रामधुन पर नाचते साधु।

अमृत विचार

लोग सड़कों पर आ गए व मिटाइयां

वैठे करीब सात हजार लोग, शहर में

बांटकर एक-दूसरे को बधाई दी।

अयोध्या के बुजुर्ग संत राम स्वरूप

मंदिरों व घरों के छतों समेत पूरे

विवर में टीवी के माध्यम यह

ऐतिहासिक दृश्य देख रहे लोगों को

भवित भाव से उत्तप्रोत कर दिया।

मंदिर प्रांगण ही नहीं पूरी अयोध्या

जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठी।

प्रसाद विक्रेता

रामेश गुप्त, केशरीनंदन गुप्ता,

रामपथ, धर्मपथ समेत पूरे शहर के

रामधुन पर नाचते साधु।

अमृत विचार



राम बारात में शामिल श्रद्धातु।

अमृत विचार

गाजे-बाजे व हाथी-घोड़ा के साथ धूमधाम से निकली श्रीराम बारात

अयोध्या कार्यालय

अमृत विचार: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में मंगलवार को एक अलग उल्लास और उत्साह रहा जहां एक तरफ राम मंदिर के शिखर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहीं दूसरी ओर विवाह पंचमी के मौके पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव की धूम दिखाई दी। शाम ढलते अलग-अलग मंदिरों से भगवान राम की बारात मुख्य सड़क पर रवाना हो गई। अपने आराध्य के विवाह उत्सव में दूसरे

धूमधाम से निकली श्रीराम बारात

अयोध्या कार्यालय

अमृत विचार: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में मंगलवार को एक अलग उल्लास और उत्साह रहा जहां एक तरफ राम मंदिर के शिखर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहीं दूसरी ओर विवाह पंचमी के मौके पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव की धूम दिखाई दी। शाम ढलते अलग-अलग मंदिरों से भगवान राम की बारात मुख्य सड़क पर रवाना हो गई। अपने आराध्य के विवाह उत्सव में दूसरे

धूमधाम से निकली श्रीराम बारात

अयोध्या कार्यालय

अमृत विचार: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में मंगलवार को एक अलग उल्लास और उत्साह रहा जहां एक तरफ राम मंदिर के शिखर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहीं दूसरी ओर विवाह पंचमी के मौके पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव की धूम दिखाई दी। शाम ढलते अलग-अलग मंदिरों से भगवान राम की बारात मुख्य सड़क पर रवाना हो गई। अपने आराध्य के विवाह उत्सव में दूसरे

धूमधाम से निकली श्रीराम बारात

अयोध्या कार्यालय

अमृत विचार: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में मंगलवार को एक अलग उल्लास और उत्साह रहा जहां एक तरफ राम मंदिर के शिखर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहीं दूसरी ओर विवाह पंचमी के मौके पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव की ध

		<p>द्वारा उक्त कार्य के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि अनुसूची-1 में उल्लिखित है वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है। शर्त यह होगी कि निकाय में वाही संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क कि धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन धन निकाय कोष में जमा करना होगा व इसकी लिखित सूचना व सूची नगर निकाय के सफाई विभाग में प्रत्युत्त करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाएं अपने पास रखेगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन</p> <p>(क) अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्ण किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि व अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।</p> <p>(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषुक्त हो जायेगा।</p> <p>उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
अनुसूची-1 नगरीय ठास अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपचिक्षि-2018 प्रशमन शुल्क तालिका (झापट)																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	<table border="1"><thead><tr><th>उल्लंघन</th><th>प्रशमन शुल्क (₹ में)</th><th>02 वर्ष की अवधि में पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क</th></tr></thead><tbody><tr><td>व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर :-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. अपशिष्ट फैलाना / फेंकना।</td><td>200</td><td>प्रशमन शुल्क का दो गुना</td></tr><tr><td>2. थूकना</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>3. मूत्र विर्सजन करना।</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>4. जानवरों के अनेंद्रिष्ट स्थान पर खिलाना।</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>5. वाहनों की धूलाई।</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>6. कपड़े धोना</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>7. सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुँड में गंदगी फैलाना।</td><td>200</td><td>"</td></tr><tr><td>मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।</td><td>500</td><td>"</td></tr><tr><td>घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाड़र, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्ड अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने करने पर।</td><td>500</td><td>"</td></tr><tr><td>नाले नालियों, झेन्जे/ सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गंदगी करने पर-</td><td>2000</td><td>"</td></tr><tr><td>पालतू मृत छोटे जानवर जैसे-बकरी/बकरा, कुत्ता/कुतिया इत्यादि का निरस्तारण</td><td>1500</td><td>"</td></tr><tr><td>पालतू मृत बड़े जानवर जैसे-गाय, भैंस, बैल इत्यादि का निरस्तारण</td><td>3000</td><td>"</td></tr><tr><td>डर्टट्रिन/स्टोरेज कर्नेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।</td><td>200</td><td>"</td></tr><tr><td>उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री अनिवार्य स्थल पर धुलाई।</td><td>200</td><td>"</td></tr><tr><td>किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना।</td><td>200</td><td>"</td></tr><tr><td>कानून का उल्लंघन करते हुए शब का अनियमित निरस्तारण।</td><td>1000</td><td>"</td></tr><tr><td>अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना:-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(क) भवन/पैलैट</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>(ख) दुकान/बूथ</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>(ग) माल/मल्टीलेव्स /शापिंग आर केड/होटल</td><td>1000</td><td>"</td></tr><tr><td>(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>प्रतिबन्धित पालीथीन आइटम का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।</td><td>25000</td><td>"</td></tr><tr><td>थर्मोकॉल आइटम का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।</td><td>25000</td><td>"</td></tr><tr><td>विना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सोंपना:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(क) व्यक्तिगत भवन</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>(ख) दुकान/बूथ</td><td>200</td><td>"</td></tr><tr><td>(ग) माल/मल्टीलेव्स /शापिंग आर केड/होटल</td><td>500</td><td>"</td></tr><tr><td>(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान</td><td>100</td><td>"</td></tr><tr><td>प्रतिबन्धित पालीथीन आइटम का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।</td><td>2000</td><td>"</td></tr><tr><td>विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।</td><td>200</td><td>"</td></tr><tr><td>बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।</td><td>1000</td><td>"</td></tr><tr><td>विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।</td><td>1000</td><td>"</td></tr><tr><td>जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।</td><td>1000</td><td>"</td></tr><tr><td>फैकल रसेज को नाला/नाली, खुले रथान, खेत जलस्त्रोत, तालाब पोखर पर डालने पर।</td><td>5000</td><td>"</td></tr><tr><td>शुक्र अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।</td><td>5000</td><td>"</td></tr><tr><td>उदान अपशिष्ट और पेंडों की छेंटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।</td><td>1000</td><td>"</td></tr><tr><td>अपशिष्ट जलाकर निरस्तारण करने पर।</td><td>500</td><td>"</td></tr><tr><td>खुले में शौच करने पर।</td><td>500</td><td>"</td></tr><tr><td>पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेंकना।</td><td>500</td><td>"</td></tr><tr><td>घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।</td><td>500</td><td>"</td></tr><tr><td>बिना डिक्का/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।</td><td>200</td><td>"</td></tr><tr><td>पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।</td><td>500</td><td>"</td></tr><tr><td>व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पानी बहाने पर।</td><td>500</td><td>"</td></tr><tr><td>सार्वजनिक सम्मेलन/ समारोह के पश्चात 24 घंटे के भीतर सफाई न करने के लिए।</td><td>2000</td><td>"</td></tr><tr><td>परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकारी अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें रखतः निष्प्रभावी हो जायेगा।</td><td></td><td></td></tr><tr><td>अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थर्मोकॉल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उत्प्र॑ दृष्टुण् नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।</td><td></td><td></td></tr><tr><td>दि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामाजिक आगारिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए ता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रैषेत करें।</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: center;">अनुसूची-2 जैवनाशित और पुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट की सूची</td></tr><tr><td>जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)</td><td></td><td>पुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)</td><td></td></tr><tr><td>जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य वितरण प्रायियों द्वारा अपधारित या नाशित किये जाने वायर करना या अपशिष्ट सामग्री से है।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>किसी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके राखना, राख, अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य वितरण प्रायियों द्वारा अपधारित या नाशित किये जाने वायर करना या अपशिष्ट सामग्री से है।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान होता है।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>रादार अपशिष्ट-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>रादार अपशिष्ट-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>रादार अपशिष्ट-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>रादार अपशिष्ट-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये ज</td></tr></tbody></table>	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क (₹ में)	02 वर्ष की अवधि में पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर :-			1. अपशिष्ट फैलाना / फेंकना।	200	प्रशमन शुल्क का दो गुना	2. थूकना	100	"	3. मूत्र विर्सजन करना।	100	"	4. जानवरों के अनेंद्रिष्ट स्थान पर खिलाना।	100	"	5. वाहनों की धूलाई।	100	"	6. कपड़े धोना	100	"	7. सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुँड में गंदगी फैलाना।	200	"	मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500	"	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाड़र, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्ड अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने करने पर।	500	"	नाले नालियों, झेन्जे/ सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गंदगी करने पर-	2000	"	पालतू मृत छोटे जानवर जैसे-बकरी/बकरा, कुत्ता/कुतिया इत्यादि का निरस्तारण	1500	"	पालतू मृत बड़े जानवर जैसे-गाय, भैंस, बैल इत्यादि का निरस्तारण	3000	"	डर्टट्रिन/स्टोरेज कर्नेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।	200	"	उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री अनिवार्य स्थल पर धुलाई।	200	"	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना।	200	"	कानून का उल्लंघन करते हुए शब का अनियमित निरस्तारण।	1000	"	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना:-			(क) भवन/पैलैट	100	"	(ख) दुकान/बूथ	100	"	(ग) माल/मल्टीलेव्स /शापिंग आर केड/होटल	1000	"	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान	100	"	प्रतिबन्धित पालीथीन आइटम का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25000	"	थर्मोकॉल आइटम का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25000	"	विना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सोंपना:			(क) व्यक्तिगत भवन	100	"	(ख) दुकान/बूथ	200	"	(ग) माल/मल्टीलेव्स /शापिंग आर केड/होटल	500	"	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान	100	"	प्रतिबन्धित पालीथीन आइटम का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	2000	"	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	200	"	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	1000	"	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	"	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	"	फैकल रसेज को नाला/नाली, खुले रथान, खेत जलस्त्रोत, तालाब पोखर पर डालने पर।	5000	"	शुक्र अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	5000	"	उदान अपशिष्ट और पेंडों की छेंटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	"	अपशिष्ट जलाकर निरस्तारण करने पर।	500	"	खुले में शौच करने पर।	500	"	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेंकना।	500	"	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	"	बिना डिक्का/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।	200	"	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।	500	"	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पानी बहाने पर।	500	"	सार्वजनिक सम्मेलन/ समारोह के पश्चात 24 घंटे के भीतर सफाई न करने के लिए।	2000	"	परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकारी अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें रखतः निष्प्रभावी हो जायेगा।			अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थर्मोकॉल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उत्प्र॑ दृष्टुण् नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।			दि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामाजिक आगारिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए ता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रैषेत करें।			अनुसूची-2 जैवनाशित और पुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट की सूची				जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)		पुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)		जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य वितरण प्रायियों द्वारा अपधारित या नाशित किये जाने वायर करना या अपशिष्ट सामग्री से है।				किसी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके राखना, राख, अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य वितरण प्रायियों द्वारा अपधारित या नाशित किये जाने वायर करना या अपशिष्ट सामग्री से है।				कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-				नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला				उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।				जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची				जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान होता है।				रादार अपशिष्ट-				इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।				कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-				नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला				उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।				परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।				अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।				रादार अपशिष्ट-				इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।				कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-				नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला				उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।				परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।				अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।				रादार अपशिष्ट-				इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।				कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-				नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला				उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।				परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।				अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।				रादार अपशिष्ट-				इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।				कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-				नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला				उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये ज
उल्लंघन	प्रशमन शुल्क (₹ में)	02 वर्ष की अवधि में पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क																																																																																																																																																																																																																																																																																											
व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर :-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1. अपशिष्ट फैलाना / फेंकना।	200	प्रशमन शुल्क का दो गुना																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2. थूकना	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3. मूत्र विर्सजन करना।	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4. जानवरों के अनेंद्रिष्ट स्थान पर खिलाना।	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5. वाहनों की धूलाई।	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6. कपड़े धोना	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7. सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुँड में गंदगी फैलाना।	200	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाड़र, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्ड अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने करने पर।	500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
नाले नालियों, झेन्जे/ सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गंदगी करने पर-	2000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
पालतू मृत छोटे जानवर जैसे-बकरी/बकरा, कुत्ता/कुतिया इत्यादि का निरस्तारण	1500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
पालतू मृत बड़े जानवर जैसे-गाय, भैंस, बैल इत्यादि का निरस्तारण	3000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
डर्टट्रिन/स्टोरेज कर्नेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।	200	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री अनिवार्य स्थल पर धुलाई।	200	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना।	200	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
कानून का उल्लंघन करते हुए शब का अनियमित निरस्तारण।	1000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना:-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(क) भवन/पैलैट	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(ख) दुकान/बूथ	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(ग) माल/मल्टीलेव्स /शापिंग आर केड/होटल	1000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
प्रतिबन्धित पालीथीन आइटम का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
थर्मोकॉल आइटम का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
विना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सोंपना:																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(क) व्यक्तिगत भवन	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(ख) दुकान/बूथ	200	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(ग) माल/मल्टीलेव्स /शापिंग आर केड/होटल	500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(घ) शैक्षणिक/धार्मिक /अन्य संस्थान	100	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
प्रतिबन्धित पालीथीन आइटम का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	2000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	200	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	1000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
फैकल रसेज को नाला/नाली, खुले रथान, खेत जलस्त्रोत, तालाब पोखर पर डालने पर।	5000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
शुक्र अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	5000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
उदान अपशिष्ट और पेंडों की छेंटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
अपशिष्ट जलाकर निरस्तारण करने पर।	500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
खुले में शौच करने पर।	500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेंकना।	500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
बिना डिक्का/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।	200	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।	500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पानी बहाने पर।	500	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
सार्वजनिक सम्मेलन/ समारोह के पश्चात 24 घंटे के भीतर सफाई न करने के लिए।	2000	"																																																																																																																																																																																																																																																																																											
परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकारी अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें रखतः निष्प्रभावी हो जायेगा।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थर्मोकॉल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उत्प्र॑ दृष्टुण् नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
दि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामाजिक आगारिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए ता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रैषेत करें।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
अनुसूची-2 जैवनाशित और पुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट की सूची																																																																																																																																																																																																																																																																																													
जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)		पुनर्वर्क्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)																																																																																																																																																																																																																																																																																											
जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य वितरण प्रायियों द्वारा अपधारित या नाशित किये जाने वायर करना या अपशिष्ट सामग्री से है।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
किसी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके राखना, राख, अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य वितरण प्रायियों द्वारा अपधारित या नाशित किये जाने वायर करना या अपशिष्ट सामग्री से है।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला																																																																																																																																																																																																																																																																																													
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची																																																																																																																																																																																																																																																																																													
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान होता है।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
रादार अपशिष्ट-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला																																																																																																																																																																																																																																																																																													
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
रादार अपशिष्ट-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला																																																																																																																																																																																																																																																																																													
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
रादार अपशिष्ट-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला																																																																																																																																																																																																																																																																																													
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेरे हुए रथानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
परोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बैहोशी के दौरान या उनके अन्य शोष कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
रादार अपशिष्ट-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
इर्याँ सेरिंज, छुरिया, ल्वेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दार्दों द्वारा दोनों हैं।																																																																																																																																																																																																																																																																																													
कार दवाइयों और साइटोटाक्सिक औषधियों-																																																																																																																																																																																																																																																																																													
नगरानि निधि के द्वारा तैयार और बोर्ड के द्वारा तैयार तथा विभिन्न विभागों के आगिला																																																																																																																																																																																																																																																																																													
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृष्ठा पर अना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अत्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये ज																																																																																																																																																																																																																																																																																													

बुधवार, 26 नवंबर 2025

जेंटल जाइंट का जाना

धर्मेंद्र के निधन के साथ भारतीय सिनेमा का एक स्वर्णिम अध्याय माने समाप्त हो गया। एक महान अभिनेता का जाना, सबको उदास कर गया, क्योंकि यह उस संवेदनशील, सौम्य और करिश्मार्थ युग का अंत है, जिसने हिंदी फिल्म उद्योग को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, जिन्होंने छह दशकों तक न केवल परदे पर बल्कि दशकों के दिलों पर राज किया। उनके अभिनय और स्टारडम ने कई पीढ़ियों को आकर दिया। 60-70 के दशक में उभरते युवाओं के लिए वे एमरिमाय, विनम्र और सहज रोमांस के प्रतीक थे। इसके बाद 80 का दशक आपे-आपे जब भारतीय दर्शक एक ऐसे नायक की तलाश में थे जो ताकत, मासूमियत और भावनात्मकता का अद्वितीय संगम हो, वे एक्शन हीरो के बोतों रहे।

अनुपमा और हमराही जैसी फिल्मों में उनकी आँखों की गहराई और संवादों की सादगी रोमांटिक अभिनय का मानक बन गई। शोले में उनकी वीरू की भूमिका ने भारतीय सिनेमा को ऐसा चरित्र दिया, जो आज भी स्मृति और संस्कृति दोनों में जीवित है। इसी तरह युद्ध या धर्म-वीर जैसी फिल्मों में उनका तेज, ऊर्जा और प्रभावशीलता अद्वितीय रही। कामेंडी में भी उनका सहज हास्य कौशल, कॉमिक टाइपिंग, डम्पोवाइजेशन दर्शकों के लिए हमेशा याद रहेगा। सत्यकाम ऐसी फिल्म थी, जिसने उनके सादीय और कलात्मक अभिनय का लोहा मनवाया। इस पिल्लम में वे अपने किंदार की नीतिक दुविधाओं को जिस शांत गहराई से निपाते हैं, वह शायद ही किसी अभिनेता के लिए संभव हो। इसी तरह अनुपमा और चैरे की चांदनी में उनका संयंत्र अभिनय एक संवेदनशील की परिधाषा प्रस्तुत करता है। सिनेमा से बाहर किंतुकर धर्मेंद्र ने राजनीति में भी सरिय खुमिका निपाता है। वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा संसद बने। संसिद्ध समय के बावजूद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सड़कों, जल प्रबंधन और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए नियमित किया, हालांकि वे राजनीति में अपनी प्राकृतिक सहजता नहीं खोज पाए, पर उनकी नीतीय और कोशिशों में ईमानदारी झलकती थी। धर्मेंद्र महज कुशल अभिनेता ही नहीं थे, वे केवल अत्यंत संवेदनशील, भावुक और मानवीय व्यक्ति थे। सह-कलाकारों की तकलीफ में साथ खड़े होना, नए कलाकारों को प्रोत्साहन देना और निजी जीवन में परोपकारिता जैसे गुण बताते हैं कि वे क्यों एक 'जेंटल जाइंट' कहे जाते थे। उनकी विरासत बहुआयामी है। वे बैठकर एकत्र विविधता, निरंतरता और गुणवत्ता के प्रतीक थे, तो एक व्यक्ति के रूप में वे प्रेम, करुणा और गरिमा की मिसाल।

अनेक वाले यह समय में जिसना जब भी अपने इतिहास के गौवशाली अध्यायों को पलटेगा, धर्मेंद्र का नाम स्वर्णक्षणों में अंकित रहेगा। उनके किल्ली सफर, व्यक्तित्व और योगदान को देख अनेक काल तक याद रखेगा। हम सभी उन्हें भारतीय सिनेमा के उस अनोखे सितारे के रूप में स्वीकृत हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों के लिए आनंद, प्रेरणा और संवेदन का संसार रखा। यह सच है कि धर्मेंद्र का जाना सिनेमा के एक युग का अंत है, पर उनके अभिनय, स्टारडम तथा अनुरूप व्यक्तित्व की चमक हमेशा हमारे सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बनी रहेगी।

प्रसंगवाद

'हीमैन' सियासत के परदे पर कभी न बन सका हीरो

धर्मेंद्र लगभग छह दशकों तक बॉलीवुड के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे। उन्होंने शोले, सत्यकाम, चुपके-चुपके, फूल और परथर, बैंदनी जैसी अनेक फिल्मों में यादगार किंदार नियाए, पर सियासत की दुनिया में उनका सफर छोटा और किसी भी रूप में यादगार नहीं रहा। धर्मेंद्र 2004 का लोकसभा चुनाव राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े और आपार से जीत ए। जिस शब्द से कभी सियासत की बात तक नहीं की, जो इंटरव्यू में भी दिया था कि 'मुझे तो बस किल्में बानी और करना पसंद है', कही शब्द संसद पहुंच गया। जीत भी बड़ी शानदार मिली। कीरीब 60 हजार चोटी से, मार उन्होंने फिर कभी चुनाव नहीं लड़ा। राजनीति का उनका सफर यहीं खत्म हो गया।

दरअसल 2004 के लोकसभा चुनाव के बक्तव्य राजस्थान में बीजेपी की लहर थी। बाजपेही सरकार के अंतिम वर्ष थे। बीकानेर सीट पर पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था, जो जाट बहुल इलाके में पकड़ रखता हो और जिसकी लोकप्रियता से कांग्रेस का पुराना किला ढह जाए। जाट समुदाय में धर्मेंद्र का जटिलस्तर प्रभाव था। उनकी फिल्में गांव-गांव में हिट होती थीं। 'शोले' का चौर, 'चुपके चुपके' का डॉ. परमिल, 'यमला पगला दीवाना' का दोसी जीवन-ये किंदार विदेशी की बात तक नहीं आ जी भी जिंदा है। बीजेपी को लगा कि अगर धर्मेंद्र मैदान में उतर आए तो जीत पकड़ी।

खुद धर्मेंद्र ने कई इंटरव्यू में बताया कि उनके बहुत करीबी दोस्त, बीजेपी के तत्कालीन नेता और राजस्थान के बड़े नेता (नाम उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया) बार-बार आग्रह करते रहे। बोले, 'धर्म मजी, बस एक बार आ जाओ, इलाके के लिए बहुत कुछ कर सकते हो।' पहले तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया। कहा, 'मैं तो फिल्मों का आदमी हूं, मुझे ये सब नहीं आता।' मगर दोस्तों ने जिर पकड़ ली। अंत में धर्मेंद्र मान गए। शर्त सिर्फ़ एक थी, ज्यादा प्रचार नहीं करना पड़ेगा, न ज्यादा भाषण रखने पड़ेगे।

धर्मेंद्र का धर्म प्रचार देखने लायक था। जहां दूसरे नेता सुवह से रात तक गांव-गांव में चलता रहता था, वहां धर्मेंद्र बस दो-तीन बड़ी सभाएं करते और लौट आते। कभी जीपर खड़े होकर हाथ हिलाते, कभी मंच पर चढ़ते होंगे। ज्यादा भाषण नहीं, उनका चेहरा चाहिए था। गांव की औरतों आशीर्वाद देने आती, बच्चे आटोग्राफ मांगते। एक बार तो किसी ने मंच पर चढ़कर कहा, 'हीमैन जी, बस एक डायलॉग बोलो।' और धर्मेंद्र ने हसते हुए बोल दिया, 'कित्ता मज़नूरू है।' पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा।

संसद में धर्मेंद्र बहुत सक्रिय संसद नहीं थे। 14वीं लोकसभा (2004-2009) में उनकी उपस्थिति करीब 60-65% रही, जो उस समय के कई सोलेन्ट्री संसदों से बहुत थी, लेकिन आप सक्रिय संसदों में कम। उन्होंने 20-25 संसद में बोला।

ज्यादातर सावल बीकानेर के पानी, सड़क, बिजली और किसानों की समस्याओं से जुड़े थे। वो भी लिखित में। मौखिक बोल से वो शांत ही रही, जब भी लोकसभा में हाथ लगाया गया। उनके बावजूद नहीं थी।

संसद में धर्मेंद्र बहुत सक्रिय संसद नहीं थे। 14वीं लोकसभा (2004-2009) में उनकी उपस्थिति करीब 60-65% रही, जो उस समय के कई सोलेन्ट्री संसदों से बहुत थी, लेकिन आप सक्रिय संसदों में कम। उन्होंने 20-25 संसद में बोला।

ज्यादातर सावल बीकानेर के पानी, सड़क, बिजली और किसानों की समस्याओं से जुड़े थे। वो भी लिखित में। मौखिक बोल से वो शांत ही रही, जब भी लोकसभा में हाथ लगाया गया। उनके बावजूद नहीं थी।

संसद में धर्मेंद्र बहुत सक्रिय संसद नहीं थे। 14वीं लोकसभा (2004-2009) में उनकी उपस्थिति करीब 60-65% रही, जो उस समय के कई सोलेन्ट्री संसदों से बहुत थी, लेकिन आप सक्रिय संसदों में कम। उन्होंने 20-25 संसद में बोला।

ज्यादातर सावल बीकानेर के पानी, सड़क, बिजली और किसानों की समस्याओं से जुड़े थे। वो भी लिखित में। मौखिक बोल से वो शांत ही रही, जब भी लोकसभा में हाथ लगाया गया। उनके बावजूद नहीं थी।

संसद में धर्मेंद्र बहुत सक्रिय संसद नहीं थे। 14वीं लोकसभा (2004-2009) में उनकी उपस्थिति करीब 60-65% रही, जो उस समय के कई सोलेन्ट्री संसदों से बहुत थी, लेकिन आप सक्रिय संसदों में कम। उन्होंने 20-25 संसद में बोला।

ज्यादातर सावल बीकानेर के पानी, सड़क, बिजली और किसानों की समस्याओं से जुड़े थे। वो भी लिखित में। मौखिक बोल से वो शांत ही रही, जब भी लोकसभा में हाथ लगाया गया। उनके बावजूद नहीं थी।

संसद में धर्मेंद्र बहुत सक्रिय संसद नहीं थे। 14वीं लोकसभा (2004-2009) में उनकी उपस्थिति करीब 60-65% रही, जो उस समय के कई सोलेन्ट्री संसदों से बहुत थी, लेकिन आप सक्रिय संसदों में कम। उन्होंने 20-25 संसद में बोला।

ज्यादातर सावल बीकानेर के पानी, सड़क, बिजली और किसानों की समस्याओं से जुड़े थे। वो भी लिखित में। मौखिक बोल से वो शांत ही रही, जब भी लोकसभा में हाथ लगाया गया। उनके बावजूद नहीं थी।

संसद में धर्मेंद्र बहुत सक्रिय संसद नहीं थे। 14वीं लोकसभा (2004-2009) में उनकी उपस्थिति करीब 60-65% रही, जो उस समय के कई सोलेन्ट्री संसदों से बहुत थी, लेकिन आप सक्रिय संसदों में कम। उन्होंने 20-25 संसद में बोला।


ज्यादातर सावल बीकानेर के पानी, सड़क, बिजली और किसानों की समस्याओं से जुड़े थे। वो भी लिखित में। मौखिक बोल से वो शांत ही रही, जब भी लोकसभा में हाथ लगाया गया। उनके बावजूद नहीं थी।

संसद में धर्मेंद्र बहुत सक्रिय संसद नहीं थे। 14वीं लोकसभा (2004-2009) में उनकी उपस्थिति करीब 60-65% रही, जो उस समय के कई सोलेन्ट्री संसदों से बहुत थी, लेकिन आप सक्रिय संसदों में कम। उन्होंने 20-25 संसद में बोला।

ज्यादातर सावल बीकानेर के पानी, सड़क, बिजली और किसानों की समस्याओं से जुड़े थे। वो भी लिखित में। मौखिक बोल से वो शांत ही रही, जब भी लोकसभा में हाथ लगाया गया। उनके बावजूद नहीं थी।

</

भाग्यात्मक और प्रेमपरक गीत
कन्नौजी लोकगीतों में प्रेम, विहँ और सौंदर्य की भावनाएँ भी प्रमुखता से मिलती हैं। मेरा रेशमी दुपट्टा जरा गोटा लगादो/ जरा गोटा लगादो... सोने की थाली में भोजन बनाए/ मेरा जेमन वाला दूर बसा/ कोई जलदी बुला दो...
कभी ये गीत सीधी सच्ची प्रेमाभिव्यक्ति होते हैं,



तो कभी सांकेतिक और रूपकात्मक। स्त्री का विहँ, पति को प्रतीक्षा, सजन की विदाई—ये सब विषय बार-बार आते हैं।

साउन लागे आज सुहावन जी।/ एजी कोइ घटा दबी हड्डी कोरा।/ नन्ही-नन्ही बुद्धियन मेंह बरसी रहे।/ एजी काइ पवन चले सर्झजोर। ऐसे गीतों में भाषा की मिठास और भावनाओं की हारहाई दोनों अद्भुत रूप से मिलती हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

कन्नौजी लोकगीतों की केवल मनोरंजन की भिट्ठी में गहराई तक पैदा हुई है। ये गीत किसी एक कवि या लेखक की रचना नहीं, बल्कि जनजीवन के अनुभवों का सामूहिक रूप है। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर और गाकर इनका रूप विकसित होता रहा है। इन गीतों में न तो व्यापासाधिकता है, न कृत्रिमता, ये लोकमन की सहज अभिव्यक्ति हैं। भाषा में मुझ कन्नौजी लहजा, सरलता और हास्य-विनोद का पूर्ण विशिष्ट बनाता है। कन्नौजी लोकगीतों की एक विशेषता यह भी है कि ये जीवन के प्रत्येक अवसर से जुड़े होते हैं—जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर्ष और विषाद दोनों ही स्थितियों में लोकगीत गाए जाते हैं। मांगलिक अवसरों के गीत कन्नौजी बोली के क्षेत्र में संस्कार गीतों का अपना महत्व है। प्रमुखता यहां पांच प्रकार के संस्कार गीत प्राप्त होते हैं—जन्म गीत, अन्न प्राशन गीत, मुंडन गीत, यज्ञोपवीत गीत और विवाह गीत। पुरु जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को सोहर जाता है, वहीं मुंडन और अन्नप्राशन संस्कारों के अवसर पर भी सोहर गाने की परंपरा होती है। यज्ञोपवीत के समय गाए जाने वाले गीत बुरआ कहलाते हैं, जबकि विवाह के अवसर पर बना और बनी गाने का प्रचलन है। ये मांगलिक गीत अन्यंत लोकगीत हैं। ऐसे गीतों में मातृभाव, हंसी-ठिठोली और भावुकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।

स्व-अभिव्यक्ति का एक उदाहरण देखें, जिसमें सुसुराल की पीढ़ा भी अभिव्यक्त होती है—

हमारी गुलाबी चुनरिया, हमें लागी नजरिया।/ सासु हमारी जन्म की बैरिन।/ हमसे करामैं रसुद्दिया, मेरी बारी उमरिया।/ जेटानी हमारी जन्म की बैरिन।/ हमसे भरामैं गणरिया, मेरी बारी उमरिया...
इस प्रकार कह सकते हैं कि कन्नौजी लोकगीत उत्तर भारत की समृद्ध लोकपंथरा का अभिन्न हिस्सा है। इन गीतों में जीवन की गंध है, भिट्ठी की महक है और इंसान की सहज भावनाओं की सच्चाई है। आज जब आधुनिकता और तकनीक के प्रभाव से लोकसंगीत का स्तर क्षीण हो रहा है, तब इन लोकगीतों का संरक्षण अन्यतंत्र आवश्यक है। कन्नौजी लोकगीत न केवल कान्यकुञ्ज क्षेत्र की पहचान हैं, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति की जीवंत धरोहर भी हैं। इन गीतों को सुनना, गाना और सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।

त्योहार और धार्मिक लोकगीत


कन्नौजी लोकगीतों में त्योहारों का बड़ा महत्व है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तीज, करवाचौथ आदि पर्वों पर विशेष लोकगीत गाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कन्नौजी क्षेत्र के मुख्य व्रत न्योहारों में शीतलाष्टमी, रामनवमी, वटसावित्री व्रत, नागपंचमी, जन्माष्टमी, हल षष्ठी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनंत चौदस, लक्ष्मी व्रत, नवरात्रि का व्रत, विजय दशमी, करवाचौथ, अन्नकृत, ब्रातृद्वितीया, मकर संक्रान्ति, वरसंत पंचमी, शिवरात्रि व बोली हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पूर्णिमा का भी महत्व है। इन विविध पर्वों पर कन्नौजी भाषा में विविध लोकगीत गाए जाते हैं। एक कन्नौजी लोकगीत दीखें, जिसमें देवी मां की भक्ति न पूजा करने जाती है और बीच में ही बदरिया आती है। एक दम अंधिरिया छा जाती है—सोने के थारी में भोजन परोसे। मझै मिलन हम आईरे, झुकि आई अंधिरिया।/ मझै यै मिलन हम आईरे, झुकि आई अंधिरिया।/ पाना पचासी, महोबे को बीड़ा। मझै रचाउन हम आरे, झुकि आई अंधिरिया।



सोहर और बन्जी

सोहर—धीरे-धीरे रेडियो बजाना मेरे राजा जी।/ रेडियो की आवाज सुन सासु दौड़ी आवें।/ उनको भी हलके से कंठन बनवाना मेरे राजा जी।/ पाच के बनवाना पचास के बताना जी।/ धीरे-धीरे रेडियो बजाना मेरे राजा जी।
एक बन्नी—बन्नी नादान बजावे हरमेनिया/दादी के कमरे बजावे हरमेनिया।/ छेड़े तान हंसे सारी दुनिया।/ बन्नी नादान हंसे सारी दुनिया।/ महिलाएँ समूह में बैठकर इन गीतों को गाती हैं और उनमें स्थानीय शब्दावली, पारिवारिक संवर्धनों और ग्रामीण जीवन के प्रतीक झलकते हैं।

भारत की सांस्कृतिक धरोहर उसकी लोक परंपराओं में निहित है और लोकगीत इन परंपराओं की आत्मा माने जाते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, बुद्देलखंड और भोजपुरी



तो कभी सांकेतिक और रूपकात्मक। स्त्री का विहँ, पति को प्रतीक्षा, सजन की विदाई—ये सब विषय बार-बार आते हैं।

साउन लागे आज सुहावन जी।/ एजी कोइ घटा दबी हड्डी कोरा।/ नन्ही-नन्ही बुद्धियन मेंह बरसी रहे।/ एजी काइ पवन चले सर्झजोर। ऐसे गीतों में भाषा की मिठास और भावनाओं की हारहाई दोनों अद्भुत रूप से मिलती हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

कन्नौजी लोकगीतों की केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना के दर्पण हैं। इन गीतों से समाज की संरचना, नारी की भूमिका, नैतिक मूल्यों और लोकाचारों की ज़िलक मिलती है। इनके माध्यम से लोकसंस्कृति पीढ़ी-दी-पीढ़ी स्थानांतरित होती रही है। महिलाओं के लिए ये गीत स्व-अभिव्यक्ति का साधन हैं—वे अपनी भावनाएँ, पीढ़ा, आनंद और आकंक्षाएँ इन्हीं गीतों में व्यक्त करती हैं।

स्व-अभिव्यक्ति का एक उदाहरण देखें, जिसमें सुसुराल की पीढ़ा भी अभिव्यक्त होती है—

हमारी गुलाबी चुनरिया, हमें लागी नजरिया।/ सासु हमारी जन्म की बैरिन।/ हमसे करामैं रसुद्दिया, मेरी बारी उमरिया।/ जेटानी हमारी जन्म की बैरिन।/ हमसे भरामैं गणरिया, मेरी बारी उमरिया...
इस प्रकार कह सकते हैं कि कन्नौजी लोकगीत उत्तर भारत की समृद्ध लोकपंथरा का अभिन्न हिस्सा है। इन गीतों में जीवन की गंध है, भिट्ठी की महक है और इंसान की सहज भावनाओं की सच्चाई है। आज जब आधुनिकता और तकनीक के प्रभाव से लोकसंगीत का स्तर क्षीण हो रहा है, तब इन लोकगीतों का संरक्षण अन्यतंत्र आवश्यक है। कन्नौजी लोकगीत न केवल कान्यकुञ्ज क्षेत्र की पहचान हैं, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति की जीवंत धरोहर भी हैं। इन गीतों को सुनना, गाना और सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।

इस प्रकार कह सकते हैं कि कन्नौजी लोकगीत उत्तर भारत की समृद्ध लोकपंथरा का अभिन्न हिस्सा है। इन गीतों में जीवन की गंध है, भिट्ठी की महक है और इंसान की सहज भावनाओं की सच्चाई है। आज जब आधुनिकता और तकनीक के प्रभाव से लोकसंगीत का स्तर क्षीण हो रहा है, तब इन लोकगीतों का संरक्षण अन्यतंत्र आवश्यक है। कन्नौजी लोकगीत न केवल कान्यकुञ्ज क्षेत्र की पहचान हैं, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति की जीवंत धरोहर भी हैं। इन गीतों को सुनना, गाना और सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।



रंग-तरंगा

राजधानी दिल्ली में सालभर विशेष कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। बीते दिनों जहां भारत मंडपम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सालभर की रक्षावासीनी दरागाह के करीब बने हुमायूं टॉम्ब की सुंदर नरसी में जीवंत शिल्प ग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महोत्सम में लोक एवं जनजातीय कला एवं शिल्प महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों ने अपनी कला के प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया।



सुंदर नरसी में जीवंत शिल्प ग्राम की झलक: सुंदर नरसी, दिल्ली का मुगल उद्यान है। जिसे अब एक जीवंत स्थल में बदल दिया गया है। यहां शिल्प बाजारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और फैक्ट्रों के आयोजन होता है। यह सिर्फ़ एक पिकनिक स्थल नहीं, बल्कि अब यहां विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जिनमें “शिल्प ग्राम” भी शामिल है। कर्क राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर भी पहुंचे: प्रदर्शनी में शिल्प कला क्षेत्र के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर मधुबनी चित्रकला, वरली चित्रकला, टेराकोटा शिल्प, बांस शिल्प, सुलेख, सिक्की वास बुनाई, सुलेख - लकड़ी की नक्काशी और पेपरमीटी शिल्प पर इंटरेक्टिव कार्यालयालों का आयोजन किया गया। कई तरह के मधुबनी पेंटिंग्स की दिखाई कलाकृत

न्यूज ब्रीफ

हनुमान मंदिर का
वार्षिकोत्सव 2 व 3 को
केरसरगं, बहराइच, अमृत विचार

: सार्वभौमिक हनुमान मंदिर में 44वां

वार्षिकोत्सव 2 व 3 दिसंबर को

आयोजित किया जाएगा। वी दिवसीय

कार्यक्रम के लिए तिरयारी पूरी कर

ली गई है। यह जानकारी देते हुए एक

प्रति प्रतिशत ने बताया कि 2 दिसंबर को

प्रति 10 बजे भौंदर प्रगाढ़ से शेखावा

त्रिकाली जो नरीनावाग शिथ श्री राम

जनकी मंदिर हाकर वापस मंदिर

परिसर पहुंचे हैं। दोपर 1 बजे से भौंदर

का आयोजन होगा। 3 दिसंबर को दो

शम 7 बजे अंतर्राष्ट्रीय विदरोह के लिए

समर्पण का आयोजन होगा। अंतिम

कार्ययोग तिरयारी के लिए तिरयारी

गणेश-प्रियांसु, अभ्यन्तरीन निर्भीक,

शिव किंशुर तिरयारी, देवराज सिंह

मधुसूखन, निर्भय निश्चल, सत्तेश सिंह,

भौंदर पाणग और गौर गौर गौरावनित

शामिल हैं।

तमच्या रखने के दो
दोषियों पर जुर्माना

श्रावसी, अमृत विचार : गोडा के

खरागुपूर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत

कहला तूटुआ निवासी अनंदर को साल

1997 में तोताली भिन्ना पुलिस ने 12

बोर के लिए तमच्या का तारुपाल के साथ

परिपत्र किया था। शोभावार को अनंदर

को आयोजित मजिस्ट्रेट गौर दिवेरी की

कोर्ट परेश किया गया। जहां दोनों

पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश गोर

दिवेरी ने अंदर को दोषी करार देने हुए

10 अप्रैल को अंदर को दोषी करार देने हुए

वही एक अन्य मामले में न्यायिक

मजिस्ट्रेट ने भिन्ना के गोरापुर निवासी

शेषराम घायल को जेल में बिताई गई

अवधि का कारावास व 500 रुपये के

अंथेंड के से दर्दित किया है।

नौवांगांव में चक्रोड पर
कब्जे की कोशिश

नानपारा, बहराइच, अमृत विचार :

दूसरी नानपारा के नवांगांव की

परिवर्तन-दिक्षण दिवा में रित्युष्ट एक

चक्रोड पर कब्जा किये जान का प्रयास

करने का मामला सामने आया है। एक

ग्रामीण ने बताया कि कब्जा पूरा होने

के बाद रासायन बढ़ हो जाएगा, जिससे

आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो

गया। ग्रामीण के अनुसार इससे

पहले भी इसी चक्रोड के कुछ हिस्सों

पर कब्जा किया जा चुका है, लेकिन इस

बार मामला गंभीर रूप से रहा है अवधि

कब्जे पर नींव भरी जा चुकी है।

संविधान दिवस पर होंगे
विविध कार्यक्रम

बहराइच, अमृत विचार : मुख्य विकास

अधिकारी नुकेश दर्द ने निर्देश दिया है

कि संविधान दिवस (26 नवंबर) पर

शासन की मंशानुसार हमारा संविधान,

हमारा सारांशमान थीम पर विभिन्न

कार्यक्रमों पर शिक्षण संसाधनों में

विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए

एक कार्यक्रम की तीव्री एवं फोटोग्राफ्स

वेबसाइट करिटरेट्सून 75 डॉड कॉम

पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद
फैले संक्रमण से महिला की मौत

श्रावसी, अमृत विचार : भिन्ना

के निर्माण होम में गलत इलाज

ने एक महिला की जान ले ली।

नर्सिंग होम में महिला का ऑपरेशन

किया गया था। इसके बाद उसके

शरीर में इन्क्रेशन फैले गया।

कई अस्पतालों में इलाज के बाद

भी महिला की जान नहीं बचाई जा

सकी।

सिरिसिया के जोखवा बाजार

निवासी दिक्षण दिवा में रित्युष्ट

उनका इलाज भिन्ना के आकाश

नर्सिंग होम में कराया गया। यहां

24 अक्टूबर ऑपरेशन किया गया।

ऑपरेशन के दो तीन दिन बाद शरीर

में संक्रमण फैले से हालत बिगड़े

जाए।

उपलब्धि

अध्यापक समेत दो का वेतन बाधित

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य (एसआईआर) में लापरवाही बरतने पर की गयी कार्रवाई

सख्ती

संवाददाता, बहराइच

अमृत विचार : विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर एक सहायक अध्यापक और एक अनुदेशक का वेतन रोकने की कार्रवाई की संस्तुति की गयी थी।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मरेटा द्वारा सम्बन्धित कार्यविधि के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गयी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मरेटा का संस्तुति पर कार्रवाई की संस्तुति की गयी है।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये गये क्षेत्र

भ्रष्टाचार के दौरान चित्तों का अन्तर्गत

तथा अनुदेशक का संतोष कुमार का

मानदेश तकाल प्रभाव से अग्रिम

आदेशों तक बाधित करते हुए

अनुस्थिति के सम्बन्ध में बीएलओ

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.

तैनात बीएलओ सहायक अध्यापक

रुमाना कुदूस तथा 330- प्रा.वि.</

